न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री रामनिवास जाट , आर.ए.एस.

अपील संख्या : 242/2017 एल.आर. एक्ट

जयचन्द्र पुत्र श्री नायबराम जाति यादव निवासी ग्राम बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

अपीलान्ट्

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व, पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

रेस्पोडेन्ट्

उपस्थितः 1. श्री विजयकुमार पारीक – अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री सुभाष सहू – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 13–09–2019**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ के निर्णय दिनांक 29–06–2017 के विरूद्ध पेश हुई है जिसका सार यह है कि अपीलांट के धारण में ग्राम बड़ोपल की रोही में खाता संख्या 103/76 में ख.नं. 2985/1367 में 6.325 हैक्टेयर बारानी रकबा खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड था। दिनांक 20.3.17 को तहसीलदार (रेस्पोडेंट) ने उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, पीलीबंगा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 एवं धारा 81 एलआर एक्ट सहपठित धारा 151 सीपीसी का उक्त रकबा बाबत पेश किया जिसमें उपखण्ड अधिकारी, पीलीबंगा ने एकपक्षीय बह सुनकर आगामी पेशी तक यथास्थिति रखे जाने एवं रहन बैय न करने के आदेश प्रदान किये तत्पश्चात मातेहत न्यायालय के द्वारा दिनांक 29.6.2017 को पारित आदेश सीपीसी के आदेश–5 में प्रदत्त प्रावधानों की पालना किये बिना पारित किया है। मातेहत न्यायालय का कानूनी दायित्व था कि हितबद्व पक्षकार को विधिवत सुना जाकर ही अन्तिम निर्णय पारित किा जावें। किन्तु मातेहत न्यायालय ने उक्त विहित प्रावधानों की अनदेखी कर जो यह

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अपीलाधीन आदेश पारित किया है वह खिलाफ कानून होने के कारण निरस्त योग्य है।

2. मियादः– अपील 4 माह विलम्ब से पेश की गई है। अपीलांट का कथन है कि आदेश उसकी पीठ पीछे जारी होने के कारण उसे समय पर जानकारी नहीं हुई। रेस्पोडेंट का कथन है कि जमाबंदी सम्वत 2070–73 में राजकीय रकबा अपीलांट के नाम दर्ज करवाने में स्वयं अपीलांट का ही हाथ रहा है। वह फर्जी व काल्पनिक प्रविष्ठियों के द्वारा खातेदारी अधिकार हासिल करना चाहता था। उसे सम्पूर्ण मामले की शुरू से ही जानकारी थी फिर भी 4 माह बाद अपील पेश की है जिसके विलम्ब के लिये दिन प्रतिदिन का संतोषजनक कारण नहीं है। विलम्ब के बारे में रेस्पोडेंट द्वारा उठाई गई आपत्तियां कानून सम्मत है, जबकि अपीलांट द्वारा बताया गया कारण संतोषजनक नहीं होने के कारण अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मियाद शमन दरख्वास्त खारिज की जाती है।

3. अपीलांट ने विवादित भूमि पर उसके हकों को प्रमाणित करने वाले किसी दस्तावेजी सबूत या कानूनी प्रावधान का उल्लेख नहीं किया है जिसके आधार पर अपीलाधीन आदेश को चुनौती दी जा सकें। अतः अपील मियाद बाहर एवं सारहीन पाये जाने पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 13–09–2014 को सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर।